न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या **35/2022**   अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
रसीदा पत्नी इब्राहीमखान जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. नागोदर पुत्र सतीया 2. सफी मोहम्मद पुत्र सतीया जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा 3. तेजपाल पुत्र सुमेरदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीनी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.01.2024

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल गूंगा के ग्राम चक गूंगा के खेत खसरा नम्बर 195/107 रकबा 11.2502 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	रसीदा पत्नी इब्राहीमखान कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	चक गूंगा	195/107	0.9712	बा.सो.		लाल
2	तेजपाल चारण पुत्र सुमेरदान हिस्सा 160/1270 कौम चारण सा0 देह खातेदार नागोदर पुत्र सतीया 415/1270 सफीमोहम्मद पुत्र सतीया 695/1270 कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	चक गूंगा	195/107	10.2790	बा.सो.		

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner